**प्रेस नोट – जनपद बिजनौर** **दिनांक – 13.07.2024**

# श्रावण माह / कांवड यात्रा के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में किया गया रुट डायवर्जन।

## अन्तर्जनपदीय यातायात डायवर्जन –

**1.दिनांक 17.07.2024 की प्रातः से दिनांक 05.08.2024 तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान –**

(क) हरिद्वार की तरफ जाने-आने वाले कावड़ियों के हल्के / मध्यम वाहन वाया बिजनौर से मण्डावर चौराहा, कस्बा मण्डावर, चंदक, भागूवाला, चिड़ियापुर बार्डर होते हुए हरिद्वार जायेंगे।

(ख) जनपद पौड़ी को जाने वाले हल्के एवं भारी वाहन बिजनौर से वाया देव पेट्रोल पम्प तिराहा कस्बा जलालाबाद (नजीबाबाद) से कोटद्वार होते हुए जनपद पौड़ी जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**2.जनपद बिजनौर से मुरादाबाद की ओर जाने वाले सभी हल्के वाहनो का मार्ग –**

जनपद बिजनौर से मुरादाबाद जाने वाले सभी हल्के वाहन वाया नूरपुर छजलैट होते हुये मुरादाबाद जायेगें यदि इस मार्ग पर कावड़ियों की संख्या बढती है तो आवश्यकता पड़ने पर इस रूट को बंद कर कालिका माता मन्दिर चौराहा शहर बिजनौर, नहटौर, धामपुर, शेरकोट, अफजलगढ़ जसपुर टी पाइन्ट से मुरादाबाद की ओर भेजा जायेगें व इसी मार्ग से वापस आयेगें।

**3.जनपद मेरठ से हरिद्वार आने व जाने वाले सभी हल्के वाहन का मार्ग –**

जनपद मेरठ से हरिद्वार आने व जाने वाले सभी हल्के वाहन गंगा बैराज पुल, बिजनौर से मण्डावर, भागूवाला, चिड़ियापुर होते हुए हरिद्वार जायेगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**4.जनपद मुजफ्फननगर / मेरठ से बिजनौर होते हुए पौड़ी आने व जाने वाले हल्के व भारी / माल वाहक वाहनों का मार्ग –**

जनपद मुजफ्फनगर से बिजनौर होते हुए जनपद पौड़ी की तरफ जाने व आने वाले हल्के व भारी वाहनो का मार्ग गंगा बैराज पुल, बिजनौर से जलालाबाद (नजीबाबाद) देव पेट्रोल पम्प से समीपुर नहर से होते हुए कोटद्वार से जनपद पौड़ी जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**5.कावड़ मेला पर्व के दौरान दिनांक 17.07.2024 की प्रातः से हरिद्वार की तरफ से आने वाले हल्के एवं भारी वाहनो का मार्ग –**

जनपद हरिद्वार की तरफ से आने वाले हल्के एंव भारी वाहन समीपुर नहर से डायवर्जन कर चौकी गंगनहर (नजीबाबाद) से कोटद्वार जनपद पौड़ी भेजे जायेंगे।

**6.जनपद मेरठ / मुजफ्फरनगर की ओर से मुरादाबाद, काशीपुर (उधमसिंह नगर) की तरफ जाने वाले हल्के एवं मध्यम वाहनो का मार्ग –**

जनपद मेरठ मु0नगर की ओर से मुरादाबाद, काशीपुर (उधमसिंह नगर) को जाने व आने वाले हल्के वाहनो को गंगा बैराज पुल, बिजनौर वाया नहटौर-धामपुर-अफजलगढ़ से जसपुर को भेजे जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**7.जनपद मुजफ्फरनगर से जनपद मुरादाबाद, की ओर जाने व आने वाले भारी / मालवाहक वाहनो का मार्ग –**

जनपद मुजफ्फरनगर की ओर से मुरादाबाद की ओर जाने व आने वाले भारी वाहन/मालवाहक वाहन मीरापुर (मोन्टी तिराहा) मुजफ्फरनगर बैरियर से ही मेरठ की ओर डायवर्जन कर मुरादाबाद को जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**8.उपरोक्त अवधि कावड़ – श्रावण मास मेला – 2024 के दौरान जनपद बिजनौर से रोडवेज बसों का संचालन निम्न मार्गों से रहेगा –**

1-बिजनौर से मुरादाबाद आने व जाने वाली रोडवेज बसें बिजनौर से वाया नहटौर, धामपुर, शेरकोट, अफ़जलगढ़, जसपुर होते हुए मुरादाबाद पहुचेंगी तथा इसी मार्ग से वापस आयेगी।

2-बिजनौर से मेरठ गाजियाबाद दिल्ली आने-जाने वाली रोडवेज बसों का रूट वाया गंगा बैराज से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

3-बिजनौर से हरिद्वार की तरफ आने व जाने वाली कावड़ियों की रोडवेज बसें वाया मण्डावर चौराहा, मण्डावली, भागूवाला, चिड़ियापुर होते हुए हरिद्वार जायेगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

5-बिजनौर से अमरोहा को जाने वाली रोडवेज की बस वर्तमान की भांति यथावत रूट से जायेंगी व आयेंगी।

**नोट – जनपद बिजनौर मे कांवड़-श्रावण मास पर्व 2024 के दौरान जनपद बिजनौर के निम्न मार्गों पर भारी वाहनो का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।**

1- नजीबाबाद-नगीना-धामपुर- स्योहारा-सहसपुर मार्ग पर (कांवडियों के वाहनों के अतिरिक्त) समस्त हल्के / मध्यम / भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

2- बिजनौर से चांदपुर-धनौरा मार्ग पर भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

3- बिजनौर से नूरपुर-दौलतपुर मार्ग पर भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

4- चिड़ियापुर बार्डर से भागूवाला चौकी, वालिया तिराहा कट से मोटा महादेव, नजीबाबाद, को0 देहात, नहटौर, नूरपुर, शिवाला कलां, नौगावां सादात मार्ग पर (कांवड़ियों के वाहनो के अतिरिक्त) समस्त हल्के / मध्यम / भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

5- बिजनौर से हरिद्वार की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर (कांवड़ियों के वाहनो के अतिरिक्त) हल्के / मध्यम / भारी वाहन / मालवाहक वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

**<u>द्वितीय चरण</u>**

**<u>रूट डायवर्जन प्लान चतुर्थ सोमवार से पंचम सोमवार तक कांवड़ मेला श्रावण मास – 2024 जनपद बिजनौर</u>।**

श्रावण शिवरात्रि पर्व के सम्पन्न होने के उपरान्त श्रावण मास के शेष सोमवार, चतुर्थ एवं पंचम सोमवार हेतु पूर्व की भांति हल्के/भारी/मालवाहक वाहनो का रूट डायवर्जन निम्नांकित दिनांक अनुसार लागू रहेगा।

1- दिनांक 09-08-2024 की मध्य रात्रि से 12-08-2024 चतुर्थ सोमवार की मध्य रात्रि तक

2- दिनांक 16-08-2024 की मध्य रात्रि से 19-08-2024 पंचम सोमवार की मध्य रात्रि तक

**अन्तर्जनपदीय यातायात डायवर्जन चतुर्थ सोमवार से पंचम सोमवार के दृष्टिगत –**

श्रावण शिवरात्रि पर्व के सम्पन्न होने के उपरान्त श्रावण मास के शेष सोमवार चतुर्थ एवं पंचम सोमवार हेतु पूर्व की भांति हल्के/भारी/मालवाहक वाहनो का रूट डायवर्जन निम्नांकित दिनांक अनुसार लागू रहेगा।

(क) हरिद्वार की तरफ जाने-आने वाले कावड़ियो के हल्के / मध्यम वाहन वाया बिजनौर से मण्डावर चौराहा, कस्वा मणडावर, चंदक, भागूवाला, चिड़ियापुर बार्डर होते हुए हरिद्वार जायेगे।

(ख) जनपद पौड़ी को जाने वाले हल्के एवं भारी वाहन बिजनौर से वाया देव पेट्रोल पम्प तिराहा कस्बा जलालाबाद (नजीबाबाद) से कोटद्वार होते हुए जनपद पौड़ी जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**2-जनपद बिजनौर से मुरादाबाद की ओर जाने वाले सभी हल्के वाहनो का मार्ग –**

जनपद बिजनौर से मुरादाबाद जाने वाले सभी हल्के वाहन वाया नूरपुर छजलैट होते हुये मुरादाबाद जायेगें यदि इस मार्ग पर कावड़ियों की संख्या बढती है तो आवश्यकता पड़ने पर इस रूट को बंद कर कालिका माता मन्दिर चौराहा शहर बिजनौर, नहटौर . धामपुर, शेरकोट, अफजलगढ जसपुर टी पाइन्ट से मुरादाबाद की ओर भेजा जायेगें व इसी मार्ग से वापस आयेगें।

**3-जनपद मेरठ से हरिद्वार आने व जाने वाले सभी हल्के वाहन का मार्ग –**

(क) जनपद मेरठ से हरिद्वार आने व जाने वाले सभी हल्के वाहन गंगा बैराज पुल, बिजनौर से मण्डावर, भागूवाला, चिड़ियापुर होते हुए हरिद्वार जायेगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**4-जनपद मुजफ्फननगर / मेरठ से बिजनौर होते हुए पौड़ी आने व जाने वाले हल्के व भारी / माल वाहक वाहनो का मार्ग–**

जनपद मुजफ्फनगर से बिजनौर होते हुए जनपद पौड़ी की तरफ जाने व आने वाले हल्के व भारी वाहनो का मार्ग गंगा बैराज पुल, बिजनौर से जलालाबाद (नजीबाबाद) देव पेट्रोल पम्प से समीपुर नहर से होते हुए कोटद्वार से जनपद पौड़ी जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**4-कांवड़ श्रावण मास पर्व 2024 में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार के दृष्टिगत हरिद्वार से कोटद्वार की तरफ आने व जाने वाले हल्के एवं भारी वाहनों का मार्ग-**

जनपद हरिद्वार की तरफ से आने वाले हल्के एंव भारी वाहन समीपुर नहर से डायवर्जन कर चौकी गंगनहर (नजीबाबाद) से कोटद्वार जनपद पौड़ी भेजे जायेंगे।

**5-जनपद मेरठ / मु0नगर की ओर से मुरादाबाद, काशीपुर (उधमसिंह नगर) की तरफ जाने वाले हल्के एवं मध्यम वाहनों का मार्गः-**

जनपद मेरठ मु0नगर की ओर से मुरादाबाद, काशीपुर (उधमसिंह नगर) को जाने व आने वाले हल्के वाहनों को गंगा बैराज पुल, बिजनौर वाया नहटौर, धामपुर, अफजलगढ़ से जसपुर को भेजे जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।

**6-जनपद मु0 नगर की ओर से जनपद मुरादाबाद, की ओर जाने व आने वाले भारी / मालवाहक वाहनों का मार्ग-**

जनपद मु0नगर की ओर से मुरादाबाद की ओर जाने व आने वाले भारी वाहन/मालवाहक वाहन मीरापुर (मोन्टी तिराहा) मुजफ्फरनगर बैरियर से ही मेरठ की ओर डायवर्जन कर मुरादाबाद को जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेगे।

➢ **उपरोक्त अवधि कांवड़ श्रावण मास पर्व 2024 में चतुर्थ सोमवार से पंचम सोमवार तक के दृष्टिगत रूट डायवर्जन के दौरान जनपद बिजनौर से रोडवेस बसों का संचालन निम्न मार्गों से रहेगा।**

1. बिजनौर से मुरादाबाद आने व जाने वाली रोडवेज बसें बिजनौर से वाया नहटौर, धामपुर, अफजलगढ़, जसपुर होते हुए मुरादाबाद पहुचेंगी तथा इसी मार्ग से वापस आयेगी।
2. बिजनौर से मेरठ गाजियाबाद दिल्ली आने-जाने वाली रोडवेज बसों का रूट वाया गंगा बैराज से गाजियाबाद, होते हुए दिल्ली जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।
3. बिजनौर से हरिद्वार की तरफ आने व जाने वाली कावड़ियों की रोडवेज बसें वाया मण्डावर चौराहा, मण्डावली, भागूवाला, चिड़ियापुर होते हुए हरिद्वार जायेगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।
4. बिजनौर से सहारनपुर, देहरादून की तरफ जाने वाले हल्के एवं मध्यम वाहन वाया गंगा बैराज, से मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर, देहरादून जायेंगे तथा इसी मार्ग से वापस आयेंगे।
5. बिजनौर से अमरोहा को जाने वाली रोडवेज की बस वर्तमान की भांति यथावत रूट से जायेंगी व आयेंगी।

**नोट- जनपद बिजनौर मे कावड़-श्रावण मास पर्व 2024 चतुर्थ सोमवार से पंचम सोमवार तक के दृष्टिगत जनपद बिजनौर के निम्न मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।**

1. नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, स्योहारा, सहसपुर मार्ग पर (कांवड़ियों के वाहनो के अतिरिक्त) समस्त हल्के/मध्यम/भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

2. बिजनौर से चांदपुर, बवनपुरा मार्ग पर भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

3. बिजनौर से नूरपुर, दौलतपुर मार्ग पर भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

4. चिड़ियापुर बार्डर से भागूवाला चौकी, वालिया तिराहा कट से, मोटा महादेव, नजीबाबाद, कोतवाली देहात, नहटौर, नूरपुर, शिवाला कला, नौगांवा सादात मार्ग पर (कांवड़ियों के वाहनो के अतिरिक्त) समस्त हल्के / मध्यम / भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

5.बिजनौर से हरिद्वार की तरफ जाने वाले सभी मार्गों पर (कांवड़ियों के वाहनो के अतिरिक्त) हल्के / मध्यम / भारी वाहन / मालवाहक वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

## जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात** **दिनांक – 13.07.2024**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस ने 04 अभियुक्तों को 02 अवैध शस्त्र, 02 अवैध चाकू व गाडी सहित किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही –**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12/13.07.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मारुती 800 रजि0सं0 UP20F2502 में सवार 04 अभियुक्तगण 1.यश पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम पोटा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 2.जीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 3.प्रिन्स राठी पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम खेडी फिरोजाबाद थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर को एक अवैध चाकू तथा 4.अजीत पुत्र स्व0 चरन सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफतार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3/4/25 शस्त्र अधि0 बनाम यश आदि उपरोक्त 04 नफर पंजीकृत किया गया। बरामद गाडी को अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त यश उपरोक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307/323/427 भादवि में वांछित था। दिनांक 12.06.2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त पीयूष को गिरफ्तार किया जा चुका है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –**

1.यश पुत्र संजीव कुमार निवासी ग्राम पोटा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

2.जीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

3.प्रिन्स राठी पुत्र रविन्द्र कुमार निवासी ग्राम खेडी फिरोजाबाद थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर

4.अजीत पुत्र स्व0 चरन सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

**बरामदगी –**

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

01 अवैध तमन्चा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

02 अवैध चाकू

गाडी मारुती 800 रजि0सं0 UP20F2502 (सम्बंधित मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307/323/427 भादवि)

**अभियुक्त यश का आपराधिक इतिहास –**

1.मु0अ0सं0 125/2024 धारा 307/323/427 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 154/2024 धारा 3/4/25 शस्त्र अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 इन्देश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 यू0टी0 समय पाल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

4.का0 887 विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**प्रेस नोट – जनपद बिजनौर** **दिनांक – 13.07.2024**

# जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

| क्र0सं0 | नाम थाना | गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता |
|---|---|---|
| 1 | नजीबाबाद | शमशाद पुत्र अजीज निवासी ग्राम लुकादढी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर। |
| 2 | नजीबाबाद | जगत सिंह पुत्र सुकरचन्द निवासी ग्राम भोगपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर। |
| 3 | धामपुर | रईस उर्फ गुड्डू पुत्र नत्थू निवासी ग्राम पूरनपुर धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर। |
| 4 | शिवाला कलां | संजय सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह निवासी ग्राम भैंसा थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर |

**थाना नजीबाबाद**

**थाना धामपुर**

**थाना शिवाला कलां**

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना नगीना देहात** **दिनाँक – 13.07.2024**

**थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा फायरिंग कर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित पुलिस हिरासत में लिया गया।**

**संक्षिप्त विवरण –**

अवगत कराना है कि आज दिनांक 13.07.2024 को प्रातः करीब 10 बजे ग्राम टांडा माईदास स्थित गगन के सैलून की दुकान पर बैठे निशान्त पुत्र सुरेश निवासी टाण्डा माईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के ऊपर अभियुक्त आदित्य पुत्र सोरन निवासी टाण्डा माईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा जान से मारने की नियत से तमंचे से फायरिंग करने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना में घायल निशान्त जिसके बायें हाथ में चोट लगी है, को उपचार हेतु सीएचसी, नगीना भेजा गया, जिसकी हालत सामान्य है।

**कार्यवाही –**

स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त आदित्य उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

**अभियुक्त का नाम व पता –**

आदित्य पुत्र सोरन निवासी टाण्डा माईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

**बरामदगी –**

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

1.उ0नि0 बबलू थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 सौरभ थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3.कां0 विनय थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4.कां0 दिनेश थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना चांदपुर** **दिनांक - 13.07.2024**

**थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत गुम हुए 03 वर्षीय बच्चे का शव बरामद होने व आरोपी महिला को पुलिस हिरासत में लेकर की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।**

**संक्षिप्त विवरण –**

अवगत कराना है कि दिनांक 12.07.2024 को वादिनी श्रीमती तरन्नुम पत्नी सलीम निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादिनी का 03 वर्षीय पुत्र अरसलान सुबह 11 बजे से लापता है, जिसकी वादिनी तथा उसके परिजनों ने तलाश की किन्तु कुछ पता नही चल सका। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 352/24 धारा 137(2) बी0एन0एस पंजीकृत किया गया। परिजनो द्वारा पडोस की ही रहने वाली महिला रोशन पत्नी मौ0 शान उर्फ शानू पर शक जाहिर किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे की तलाश हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रोशन उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गयी तो उसकी निशानदेही पर बच्चे के शव को पास के ही एक तालाब से बरामद किया गया। आरोपी महिला रोशन ने बताया कि उसकी किसी मामूली बात को लेकर बच्चे की मां तरन्नुम से कहासुनी हो गयी थी, इसी कारण उसने बच्चे को तालाब में डुबाकर मार दिया। बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अन्य साक्ष्य संकलित किये जा रहे है तथा स्थानीय ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। बिजनौर पुलिस आश्वस्त करती है कि अभियोग में ठोस साक्ष्य संकलित कर समस्त विधिक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जायेगा तथा मा0 न्यायालय में सघन पैरवी कर अभियुक्ता को कठोर दण्डात्मक सजा से दण्डित कराया जायेगा।

**अभियुक्ता का नाम व पता –**

रोशन पत्नी शान उर्फ शानू निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर